विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
8. (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में कार्यरत प्राइस मॉनिटरिंग एण्ड रिसोर्स यूनिट उ0प्र0 के आउटसोर्सिंग कार्मिकों को समय से/कई-कई माह के वेतन का भुगतान न हो पाने के कारण उनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है ?	प्राइस मॉनीटरिंग एण्ड रिसोर्स यूनिट (पी0एम0आर0यू0), उ0प्र0 एक सोसाइटी है, जिसका गठन भारत सरकार के उपभोक्ता जागरूकता हेतु सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत किया गया है। पी0एम0आर0यू0 के संचालन हेतु वित्त पोषण राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन0पी0पी0ए0), भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यद्यपि भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार पी0एम0आर0यू0, राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करता है, परन्तु पी0एम0आर0यू0 में कार्यरत कार्मिक कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के कार्मिक नहीं हैं। पी0एम0आर0यू0 में 01 प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, 03 फील्ड इन्वेस्टीगेटर एवं 03 आफिस असिस्टेन्ट कार्यरत हैं, जिनकी तैनाती सेवाप्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा की गयी है तथा इनके वेतन का भुगतान भारत सरकार से प्राप्त बजट से किया जाता है। फील्ड इन्वेस्टीगेटर व प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर को जुलाई, 2024 तक तथा आफिस असिस्टेन्ट को सितम्बर, 2024 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।
(ख) यदि हाँ, तो संबंधित कार्मिकों को समय से वेतन भुगतान हेतु क्या व्यवस्था करायेंगे और उनके वेतन भुगतान में विलम्ब हेतु कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?	पी0एम0आर0यू0, उत्तर प्रदेश को आवश्यक बजट उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 02.12.2024 द्वारा एन0पी0पी0ए0, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। एन0पी0पी0ए0 से आवश्यक बजट प्राप्त होते ही कार्मिकों के अवशेष वेतन का भुगतान हो जायेगा। चूंकि पी0एम0 आर0यू0 के कार्मिकों का वेतन भुगतान भारत सरकार से प्राप्त बजट द्वारा किया जाता है, अतः उक्त कार्मिकों के वेतन भुगतान में विलम्ब हेतु राज्य सरकार का कोई कार्मिक उत्तरदायी नहीं है।
(ग) उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 15 सितम्बर, 2024 तक माह वार कब-कब वेतन का भुगतान किया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	पी0एम0 आर0यू0 के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 15 सितम्बर, 2024 तक माहवार किये गये वेतन भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	माह	फील्ड इन्वेस्टीगेटर व प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर को वेतन भुगतान का दिनांक	आफिस असिस्टेन्ट को वेतन भुगतान का दिनांक
1	जनवरी-2022	03.03.2022	28.03.2022
2	फरवरी-2022	28.03.2022	28.03.2022
3	मार्च-2022	03.06.2022	02.06.2022

4	अप्रैल-2022	03.06.2022	17.05.2022
5	मई-2022	29.07.2022	04.07.2022
6	जून-2022	29.07.2022	18.10.2022
7	जुलाई-2022	15.10.2022	18.10.2022
8	अगस्त-2022	25.10.2022	18.10.2022
9	सितम्बर-2022	31.01.2023	31.01.2023
10	अक्टूबर-2022	31.01.2023	18.04.2023
11	नवम्बर-2022	15.04.2023	18.04.2023
12	दिसम्बर-2022	15.04.2023	18.04.2023
13	जनवरी-2023	15.04.2023	15.04.2023
14	फरवरी-2023	25.04.2023	15.04.2023
15	मार्च-2023	12.05.2023	23.05.2023
16	अप्रैल-2023	04.09.2023	21.06.2023
17	मई-2023	06.09.2023	04.09.2023
18	जून-2023	11.09.2023	11.10.2023
19	जुलाई-2023	11.09.2023	11.10.2023
20	अगस्त-2023	10.10.2023	09.11.2023
21	सितम्बर-2023	09.11.2023	20.11.2023
22	अक्टूबर-2023	10.11.2023	12.02.2024
23	नवम्बर-2023	29.01.2024	12.02.2024
24	दिसम्बर-2023	12.02.2024	12.02.2024
25	जनवरी-2024	27.02.2024	06.03.2024
26	फरवरी-2024	21.05.2024	18.04.2024
27	मार्च-2024	29.04.2024	21.05.2024
28	अप्रैल-2024	21.05.2024	21.05.2024
29	मई-2024	23.10.2024	23.10.2024
30	जून-2024	28.10.2024	23.10.2024
31	जुलाई-2024	28.10.2024	24.10.2024
32	अगस्त-2024	फण्ड प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।	24.10.2024
33	सितम्बर-2024	फण्ड प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।	24.10.2024

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।